

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / ८३ / सी.सी. / १७ / अड्डीस
प्रति.

भोपाल, दिनांक

कुलशिव,
समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय—पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सचालित रनातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों ने
प्रवेश हेतु समान पात्रता के सबैध में।

—०—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सचालित रनातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों में संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार १४ विषयों में प्रवेश हेतु समान पात्रता सुनिश्चित करने की माननीय कुलाधिपति जी हारा दिये गए अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय राष्ट्रव्य समिति के अनुरागर्थन को प्रत्याशा में अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव,

मंत्रालय, भोपाल

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक ३३.८६

क्रमांक / ३३५ / ८३ / सी.सी. / १७ / अड्डीस

प्रतिलिपि—

१ निज सहायक, मा. मत्रीजी/मा. राज्यमत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

२ आपर सचिव, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

३ निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।

४ आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।

५ समस्त एकीय अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

..... की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

६ प्रगारी अधिकारी, जाइ. टी. सैल, उच्च शिक्षा आमुल्य उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,

मंत्रालय, भोपाल

मंत्रालय, भोपाल

**विषय पारंपरिक विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों
में महाविद्यालय में प्रवेश हेतु समान पात्रता**

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	निर्णय
1	बी.सी.ए.	10+2 (गणित विषय के साथ) उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
2	10+2 कृषि सकारा	उत्तीर्ण विद्यार्थी बी.ए. एवं बी.एस.रा.सी. बी.टी.बी. कृषि के साथ-साथ एताइड विषय जैसे सीड टेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी, बॉयांटिक सॉइल कन्जरेशन, किशरीज, हॉटिंगल्चर एवं इलस्ट्रोगल कॉमिस्नरी में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
3	एल.एल.एम.	एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत उक्त प्राप्त विद्यार्थी भी प्राप्त होंगे) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
4	बी.जे.सी.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
5	दी.जे.एम.सी. (एक वर्षीय)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
6	बी. बी.ए.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
7	बी.बी.ए.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
8	बी.एस.डब्ल्यू.	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
9	बी.टी.एम. (तीन वर्षीय)	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
10	बी.लिब.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
11	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
12	बी.ए. एल.एल.एम.	बार जाउंसिल के गिर्णेयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।
13	एम.एम.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड अनुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।
14	बी.ए. अंगनसं (फायर्फूल साइंस)	बी.ए. स्तर पर कम्प्यूटर राइस विषय में अग्रामी रूप से विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कर्तव्यरथ अधिकारी
प.प्र.गांव उच्च विद्यालय
(संस्कृत प्रबन्ध), नामस्कर, गांव।